

## विचार बिन्दु

अपनी करनी कभी निष्फल नहीं जाती। -कबीर

## राजस्थान के मतदाता से अपील

25

नवंबर 2023 को राजस्थान की विधानसभा के लिए मतदान होगा। इस मतदान के माध्यम से यह तय होगा कि आगामी 5 वर्ष तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन से 200 विधायक करेंगे और वे बहुमत से निर्णय लेंगे कि राज्य में आगामी 5 साल तक किसका शासन होगा? राजस्थान में कुल 5.26 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 2.51 करोड़ महिला एवं 2.75 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। औसतन एक विधायक लगभग 4 लाख लोगों या 2.6 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 25 नवंबर को मतदाता जब मतदान स्थल तक जाएंगे तो उसे किन बातों का ध्यान रखकर मतदान करना चाहिए, इस संबंध में कुछ बिंदु प्रस्तुत हैं, ताकि उसे सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने में सहायता मिल सके।

सर्वप्रथम, तो यह सुनिश्चित करना है कि सभी मतदाता अवश्य ही मतदान करें। कई लोग यह समझते हैं कि मतदान करने से क्या फायदा और एक वोट से होगा क्या? उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वह मतदान न करके भी उस व्यक्ति की सहायता करेंगे जो उनके अनुसार सही नहीं है। छोटी-मोटी कोई भी समस्या हो, प्रत्येक को मतदान केंद्र तक जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही है। यह उल्लेखनीय है कि मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान करने के लिए मतदाताओं के बावजूद 75 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि अपना प्रतिनिधित्व चुनने में 25 प्रतिशत लोगों ने अपनी भागीदारी नहीं निभाई। सामान्यतया जीत - हार में अधिकतम अंतर कुल मतदाताओं का 5 प्रतिशत होता है। कई बार तो यह अंतर 1000 वोट से भी कम, यानी कुल मतदाताओं का 0.5 प्रतिशत या इससे भी कम होता है। यदि शेष 25 प्रतिशत मतदाता भी अपने अधिकार का प्रयोग करते, तो परिणाम क्या होता, कहा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह कि प्रत्येक मतदाता का मत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह परिणाम को बदलने की क्षमता रखता है। अतः सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वे मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और राजस्थान में आगामी 5 वर्ष के लिए सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं।

अब प्रश्न यह उठता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः उम्मीदवार को या किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहा होगा अथवा कोई निर्दलीय हो सकता है। आपके क्षेत्र का उम्मीदवार या तो पूर्व से राजनीति में होगा या कोई पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहा होगा। पहली परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति, पहले से किसी राजनीतिक दल में है, उसके टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो आप उस दल की विचारधारा के अनुसार मतदान कर सकते हैं। साथ ही यह भी अवश्य देखिए कि आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति करेगा उसकी क्षमता एवं गुण क्या है? आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता, कीमत सबका ठोक बजाकर आकलन करने के बाद ही अपना निर्णय लेते हैं। यहाँ तो आप आगामी पाँच साल के लिए अपना विधायक चुन रहे हैं तो आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम, तो यह सुनिश्चित करें कि आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को आपका मत नहीं मिले। प्रत्येक उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक प्रकरणों की जानकारी सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग की वेब साइट पर उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि मतदाताओं द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने के कारण ही आपराधिक घुंघरुमि के विधायकों की संख्या बढ़ती गई है।

दूसरा गुण उस व्यक्ति में आप देख सकते हैं, वह उसकी ईमानदारी है। जो व्यक्ति पहले से राजनीति में है, उसके बारे में आपको स्वयं को पता होगा अथवा न पता हो तो जानकारी अवश्य करिए कि वह ईमानदार है या नहीं? उसकी संपत्ति में किस प्रकार वृद्धि हुई है और उसकी आय के साधन क्या हैं? अपनी आय प्राप्ति के लिए वह किस प्रकार के साधनों का प्रयोग करता रहा है? यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति उसकी आय के ज्ञात साधनों से अधिक है तो उसे अपने मत का समर्थन मत दीजिए। जो व्यक्ति अब तक अनैतिक, गैर कानूनी तरीकों से अथवा अपने पद के प्रभाव के कारण धन का संचय करता रहा है तो अचानक वह ऐसा करना बंद कर देना, ऐसा सोचना सही नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसे आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बनने का अधिकार चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति अब तक राजनीति में नहीं था और पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहा है, तो उसके बारे में यह पता कीजिए कि सार्वजनिक जीवन में उसका रिकॉर्ड क्या रहा है? यदि कोई अधिकारी था तो क्या उसने ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ जन समसम्यकों को हल करने का काम किया है अथवा क्या उसके कार्य असेंबलेशन और भ्रष्ट तरीके अपनाते हुए अपने धन का संचय किया है? क्या उसने सेवा काल में नेताओं की चापलूसी करके तथाकथित मलाईदार पोस्टिंग प्राप्त करने में ही पूरी ऊर्जा लगा दी? यह पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि किसी भी अधिकारी की छवि क्या रही है? यदि आपको न पता हो, तब भी इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके ही मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो आप अधिक उपयुक्त व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए चुन पाएँगे।

तीसरी कसौटी किसी उम्मीदवार के सम्बन्ध में यह हो सकती है कि वह, क्या केवल अपनी जाति, धर्म और अपने ही परिवार के लोगों के लिए पूरे समय काम करता रहा है या उसने बिना भेदभाव के अपने क्षेत्र के सभी लोगों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया है? देश हित में और आपके क्षेत्र के हित में भी यही है कि निर्वाचित व्यक्ति, जाति- धर्म- वर्ग - परिवार से ऊपर उठकर केवल सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखे एवं उस व्यक्ति का हित सबसे पहले देखे जो जिसका और कोई सहायता ना हो एवं जो स्वयं अपने लिए रास्ता बनाने में सक्षम न हो। यदि किसी व्यक्ति ने साधारण जनता की कीमत पर कुछ बाहुबलियों और धनदाय, प्रभावशाली व्यक्तियों के हित को आगे बढ़ाने का काम किया हो तो ऐसे व्यक्ति को आपका मत नहीं मिलना चाहिए। आपका मत उसे मिलना चाहिए जिसका चरित्र उत्तम हो। जिस व्यक्ति में चरित्र का नैतिक बल नहीं होगा, वह शासक नीतियों और असेंबलेशन अधिकारियों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। अपने उम्मीदवारों के बारे में जानकारी जुटाना कठिन नहीं है। क्या उम्मीदवार केवल अपने स्वयं के परिचारियों के लिए ही पूरा समय काम करता है अथवा अपने क्षेत्र के सार्वजनिक हित के लिए भी अपना पूरा समय देता है? चौथी कसौटी यह होनी चाहिए कि क्या उम्मीदवार सरल जीवन यापन करता है अथवा दिखावे के जीवन में विश्वास करता है? क्या वह बहुत ही वैभवशाली तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है? यदि वह ऐसा करने के लिए किसी को अनुचित लाभ पहुंचा कर बदले में लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसा करता रहा है तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी साधारण नागरिक के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाएँगे। यदि चुनाव के दिनों में ऐसा कर भी रहे हैं तो वह केवल मतदान के दिन तक होगा और जीतने के बाद वह साधारण जनता की ओर कभी रुख भी नहीं करेंगे। ऐसा व्यक्ति आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सही अधिकारी नहीं है।

पाँचवां मापदंड यह है कि, उसका व्यवहार किस प्रकार का है? क्या सामान्य व्यक्ति के लिए उससे मिलना पहले संभव रहा है एवं जब भी आपने उससे मिलने का प्रयास किया तो आप सफल हो पाए या नहीं? यदि पहले वह आपके क्षेत्र का विधायक रह चुका है, तो इसका आकलन करना आपके लिए और भी सरल है। जो व्यक्ति जनता से दूर रहेगा वह व्यक्ति आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी ही नहीं सकता। अपने मतदान का प्रयोग करते समय इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि कौन सा उम्मीदवार जनता को सहजता के साथ उपलब्ध है एवं क्या सामान्य जन, अपनी समस्या से अलग करने के लिए उसके पास पहुंच सकता है? अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय यह भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति केवल चुनाव के कुछ दिनों पूर्व ही दल बदल कर किसी नए दल में तो नहीं आया है, और वहाँ से टिकट प्राप्त कर के उम्मीदवार बन गया है? ऐसे व्यक्ति सामान्यतया किसी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं एवं दल बदल का मुख्य कारण ही यह होता है उन्हें उनके दल ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति आपके क्षेत्र का सही तरह से प्रतिनिधित्व कर पाएँगे, इसकी संभावना कम ही है। वे किसी नीति या निर्णय का विरोध केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए ही करेंगे। दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक भी तभी लगेगी जब इस प्रकार के लोग चुनकर विधानसभा में नहीं जाएँगे। अपने क्षेत्र के बारे में इसका आकलन करने के पश्चात ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो दल बदलने वालों को सबक सिखाए जाएँगे।

मताधिकार का निर्णय करते समय एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखने योग्य यह है कि आपका प्रतिनिधित्व कितना शिक्षित और कितना जागरूक है? शिक्षा का अर्थ केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं अपितु अपने विवेक एवं ज्ञान के आधार पर क्या वह नीतियों के प्रभाव का आकलन करने में समर्थ है या नहीं? जब कोई व्यक्ति लिखित प्रकार की नीतियों का सामान्य मतदाता पर क्या प्रभाव होगा, इसका आकलन करने में ही सक्षम नहीं है, तो वह किस प्रकार विधानसभा में अपना पक्ष पुरजोर तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा? किसी भी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता के साथ ही उसमें सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित बिंदुओं को समझने एवं उनका विश्लेषण करने की तथा उनके सामान्य जनजीवन पर प्रभाव का आकलन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके अलावा अपना मत उसे दें। मतदाताओं को यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपके 25 नवंबर के मतदान के माध्यम से राज्य की सरकार चुनी जाएगी जो कि स्थानीय निकाय की एवं न ही केंद्र सरकार की। कई बार मतदाता अपने मत का प्रयोग करते समय इस बात को भूल जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्थाएँ सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है, किन्तु 25 नवंबर को होने वाले मतदान के आधार पर, राज्य के सरकार के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय लिए जाने के लिए ही सरकार का गठन किया जाएगा। सरकार उसी की बनेगी जिसे आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा। वैसे भी सामान्य नागरिक के जीवन को प्रभावित करने वाले अधिकांश निर्णय राज्य स्तर पर ही लिए जाते हैं।

जिस दल के द्वारा आपके जीवन को प्रभावित करने के संबंध में निर्णय लिए जाएँगे, उसके बारे में सोच-समझकर अपने अधिकार का प्रयोग कीजिएगा। क्या आपके क्षेत्र के उम्मीदवार ने अथवा उसके दल ने, आपके जीवन को अधिक सुगम एवं सरल बनाने हेतु कार्य किया है अथवा परेशानियों और बढ़ाई हैं? आप जब अपना वोट दें, तो इस कसौटी पर भी अपने उम्मीदवार को कसकर अवश्य देखें कि किसने आपके जीवन में सुगमता और सुविधा बढ़ाने का कार्य किया है? समाज में महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के प्रति आपके उम्मीदवार का किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है, यह भी आपके निर्णय का आधार बना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महिलाओं को एक वस्तु की तरह समझते हैं एवं उसी प्रकार उनका उपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधित्व चुनने से परहेज करेंगे तो अधिक अच्छा होगा। जो भी जनप्रतिनिधि महिलाओं एवं समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध न हो, वह आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कतई उपयुक्त नहीं है।

कुछ बिंदु यहां पर लिखे गए हैं एवं इसके अतिरिक्त भी आप चुनाव करते समय अपने पूरे विवेक और निष्पक्षता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपके द्वारा चुना गया विधायक पांच वर्ष तक आपके क्षेत्र लिए आवंटित करोड़ों रुपए का उपयोग (या दुरुपयोग?) करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि आपने 25 नवंबर को यह सावधानी बरती और पूरे विवेकपूर्ण तरीके से उपरोक्त बिंदुओं की कसौटी पर कसते हुए अपने उम्मीदवार का चयन किया और उसे विजिता बनाया तो आपापी पांच वर्ष तक आपका क्षेत्र अधिक तेजी से विकास की गति पर आगे बढ़ पाएगा और समाज में अधिक समन्वय और सहयोग की भावना आपके क्षेत्र में बनी रहेगी। आपके प्रतिनिधि का संपर्क भी आपसे केवल चुनाव के दिन ही नहीं अपितु 5 वर्ष तक निरंतर बना रहेगा। आप अपने क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का समर्थन करते हुए उसे विजय प्राप्त करने में सहायक बनें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि अपने मत के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें।

-अतिथि सम्पादक,  
राजेन्द्र भागवत  
(पूर्व आई.एस. अधिकारी)



महावीर सिंह

राजस्थान की विधान सभा के लिए, मतदाताओं द्वारा विधायकों का चुनाव करने के लिए 25 नवम्बर, 2023 को वोट डाले जाएँगे। मतदान का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार है जिसके द्वारा मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देना। जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिलेंगे, वह व्यक्ति आगामी 5 साल के लिए विधान सभा में और सरकार के समक्ष जनता की मांग, कठिनियों को रखेगा और समाधान के प्रयास करेगा।

मतदाताओं के विभिन्न समूहों की अलग अलग दिक्कतें हैं, आकांक्षाएँ हैं और स्वस्थ लोकतंत्र में उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर मतदाता से मतदान की अपेक्षा की जाती है। युवाओं के लिए सरकारी, गैर सरकारी रोजगार, स्वरोजगार की शीघ्र व सहज उपलब्धता का मुद्दा होगा। महिलाओं के लिए आम सुरक्षा, गृहणियों के लिए मंहगाई, विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करने-आगे बढ़ने के अवसर और अपनी पहचान के मुद्दे होंगे। आम गरीब जन के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा आदि अहम मुद्दे हैं। यह बात अलग है कि मतदाता अपने मुद्दों को ध्यान में रख कर वोट डालेगा या धर्म, जाति, क्षेत्र, जातीय जनगणना, आरक्षण जैसी बातों को महत्व देगा। 60 प्रतिशत के लगभग किसानों, ग्रामीणों के लिए अहम मुद्दे क्या हैं? कैसे तो हमेशा से ही किन्तु वर्ष 2000 के बाद, ग्राम, हर पार्टी और उनके बड़े नेता को किसानों को खुशहाल करने की बात बड़े जोरों से कहते रहे हैं किन्तु अफसोस, आज भी औसतन ग्रामीण भारत/किसानों की प्रतिदिन औसत आय मात्र 27 रु के करीब है।

दोनों बड़ी पार्टियाँ चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए आने वाले 5 साल में किस वर्ग के लिए क्या करेंगी, इसकी घोषणाएँ करती हैं। भाजपा ने 16 नवम्बर, 23 को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने पिछले 6 माह से नई-नई योजनाओं की घोषणा-क्रियान्वयन किया है और अब 7 गारंटियों की घोषणा की है। आओ किसानों की दृष्टि से, उनकी आशाओं-मांगों पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अब तक के रवैये, उनकी घोषणाओं के मध्यनजर उन पर विचार करें :-

(1) उन्हें उनकी फसल/पैदावार का लाभकारी मूल्य मिले। इसके लिए सरकार पारदर्शी तरीके से फसलों की उन्नति का रास्ता खेत-खलिहान में से होकर गुजरता है। किसानों की वर्षों से मांग रही है कि-

(2) लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने मात्र से किसान का भला नहीं हो सकता। इस मूल्य से नीचे सरकारी व खुले बाजार में खरीदी नहीं हो, इसके लिए भी बाध्यकारी कानून की वर्षों से मांग किसानों की रही है। दोनों ही बड़ी पार्टियाँ अब तक इस से कन्नी काटती रही हैं।

(3) समय-समय पर किसानों को सलाह दी जाती रही है अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलें क्या गन्ना, गेहूँ, धान आदि न बो कर, कम पानी वाली फसलें बोयें। कृषि का विविधीकरण हो। फल, सब्जी, मसाले आदि कोमर्सियल क्राप्स बोयें। सलाह

सही है किन्तु किसान पारम्परिक फसलों से हट कर हॉर्टिकल्चर या अन्य फसल पर जाएँगा तो उसे उन्हें अपनाने में समय लगेगा, उसे इस अवधि में आय का नुकसान भी होगा। इस अवधि में पारम्परिक खेती से होने वाली आय व आय में अंतर को, कुछ समय के लिए कम्पनसेट करना आवश्यक है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर 2-4 पंचायतों के मध्य सरकार मॉडल फार्म तैयार करे। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण वाली उन्नति के अनुसार किसानों को फल-सब्जी-मसालों की खेती के लाभ दिखाए और उसके लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही व्यापक स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कुषकों को समझाइश कार्यक्रम शुरू करें, जिनका अत्यंत अभाव है। दोनों ही बड़ी पार्टियाँ के पास इस सम्बंध में कोई स्पष्ट योजना नहीं है।

(4) किसानों की जोतें पारिवारिक विभाजनों के चलते काफी छोटी हो गई हैं व कई स्थानों पर बिखरी हुई हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर जोत एकीकरण कार्यक्रम शुरू किया जाना कृषि व कुषकों के हित में होगा। किसी भी राजनीतिक दल का इस सम्बंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जो होनी चाहिए।

(5) किसानों की मांग रही है कि जिस प्रकार सामान्य रूप से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मंहगाई सूचकांक निकाला जाता है, उसी प्रकार कृषि में प्रयुक्त ईन्पुट्स का भी, तिमाही मंहगाई सूचकांक निकाला जाए और उसे लाभकारी न्यूनतम मूल्य के साथ जोड़ा जाए। सभी राजनीतिक दल इस पर मोन साधें।

(6) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(7) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(8) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(9) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(10) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(11) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(12) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(13) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(14) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(15) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(16) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(17) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(18) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(19) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(20) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(21) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(22) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(23) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(24) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

सही है किन्तु किसान पारम्परिक फसलों से हट कर हॉर्टिकल्चर या अन्य फसल पर जाएँगा तो उसे उन्हें अपनाने में समय लगेगा, उसे इस अवधि में आय का नुकसान भी होगा। इस अवधि में पारम्परिक खेती से होने वाली आय व आय में अंतर को, कुछ समय के लिए कम्पनसेट करना आवश्यक है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर 2-4 पंचायतों के मध्य सरकार मॉडल फार्म तैयार करे। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण वाली उन्नति के अनुसार किसानों को फल-सब्जी-मसालों की खेती के लाभ दिखाए और उसके लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही व्यापक स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कुषकों को समझाइश कार्यक्रम शुरू करें, जिनका अत्यंत अभाव है। दोनों ही बड़ी पार्टियाँ के पास इस सम्बंध में कोई स्पष्ट योजना नहीं है।

(6) ग्रामीणों के हित में, राज्य कानूनों में संसोधन भी आवश्यक है। ग्राम पंचायत स्तर पर तहसील स्तर के कुछ अधिकार दे देने चाहिए यथा सीमा ज्ञान, रास्ती को विवाद, आसपी सहमति के बंटवारे व भूमि की अफल बदली आदि। उपखण्ड अधिकारी व उस से ऊपर के अधिकार भी एक एक नीचे के स्तर पर दे देने चाहिए जिस से न्याय के लिये ग्रामीणों को सुविधा हो।

(7) अनावृष्टि, अतिवृष्टि व प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बीमा का प्रावधान तो है किन्तु उम्मीदा क्रियान्वयन अत्यंत विलम्ब है। समय पर पारदर्शी तरीके से खराबा रिकार्ड नहीं होता और बीमा केन्दम या तो मिलता नहीं या खराब की तुलना में अत्यंत कम मिलता है और देरी से तो मिलता भी मिलता है। तहसील-पंचायत समिति स्तर पर अधिकांशतः तो बीमा कंपनियों के कार्यालय-कर्मचारी हैं ही नहीं या दफ्तर बंद मिलते हैं। उनके कर्मचारी तो ढूँढने से भी नहीं मिलते। सेटलाइट पिकर्स के आधार पर तुरंत खराब रिकार्ड करने की व्यवस्था इसमें सहायक हो सकती है। बीमा कंपनियों के लिए सेटलाइट इमेजरीज के आधार पर खराब अनुमान लगाना लाजमी किया जाए।

(8) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(9) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(10) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(11) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(12) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(13) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(14) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(15) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(16) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(17) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(18) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(19) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(20) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(21) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(22) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(23) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(24) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(25) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(26) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।

(27) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के अभाव-निर्भाव के लिए माझा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किया जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलें धाव गिरते हैं।